111-A-33/13/10/2015/DPC-II(VOL-II) 1/2977990/2025



कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय **आरत सरकार**) EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION (Ministry of Labour & Employment, **Govt. of India**)

आई.एस.ओ. 9001:2015 द्वारा प्रमाणित

Certified with ISO 9001:2015





क्षेत्रीय कार्यालय (दिल्ली) / Regional Office (Delhi) तृतीय एवं चतुर्थ तल, राजेंद्र भवन,राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 3rd and 4th Floor, Rajendra Bhawan Rajendra Place, New Delhi – 110008 Phone: 011-25734381, 25745044 Email: rd-delhi@esic.nic.in Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

मि.सं .111-A-33/13/10/2015/DPC-II(VOL-II)/ 16393

दिनांक :- 03-09-2025

कार्यालय आदेश संख्या 11 वर्ष 2025 (डीपीसी - 2)

संशोधित आश्वस्त कैरियर प्रगति योजना (सं.आ.क.प्र. योजना : Modified Assured Career Progression Scheme : MACP Scheme) से संबंधित DoP&T O.M No.35034/3/2015-Esst.(D) dated 22/10/2019 मे निर्धारित अनुदेशों के अनुसार एवं दिनांक 12-08-2025 को आयोजत विभागीय अनुवीक्षण समिति (Departmental Screening Committee) की अनुशंसा के आधार पर, क्षेत्रीय निदेशक ने एतदद्वारा निम्नलिखित कर्मचारी को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार तीसरे वितीय उन्नयन प्रदान करने का अनुमोदन किया है :

In pursuance of provisions of DOP&T's OM No. 35034/3/2015-Esst. (D) dated 22/10/2019 relating to Modified Assured Career Progression Scheme (MACP Scheme) and as per the recommendations of meeting of the Departmental Screening Committee held on 12-08-2025, Regional Director, Delhi has approved the grant of 3rd financial upgradation to the following employee as per the details mentioned below:-

क्रम	नाम,कर्मचारी	वर्तमान	रिवीयू		सं.आ.वृ.प्रो.	वित्तीय
संख्या	संख्या , पदनाम	तैनाती स्थल	आ.वि.अनु.ः	समिति	योजना के	उन्नयन पर
	एवं सातवे वेतन	(Present	द्वारा स	नं.आ.वृ.प्रो.	तहत	सातवे वेतन
	आयोग का वर्तमान वेतनमान लेवेल	place of posting)	योजना व	के तहत	वित्तीय	आयोग का
	व नियुक्ति तिथि		वित्तीय	अन्नयन	अन्नयन	अनुशंसित
	(Name, Emp		प्रदान क	रने की	प्रदान करने	
	ID,		तिथि		की तिथि	(Pay level of the 7 th CPC
	Designation , Date of appointment)		(Date from which financial upgradation under MACP Scheme is granted by REVIEW DSC)		(Date from which financial up-gradation under MACP Scheme is	in which Financial upgradation is granted)
			1 st	2 nd	granted 3 rd	
			ACP	MACP	MACP	
			(12 yrs)	(20 yrs)	(30 yrs)	
1	श्री जोत सिंह,					
	144640, कुक					22/06/2024

111-A-33/13/10/2015/DPC-II(VOL-II) I/2977990/2025

aेतनमान .1 - 3 (L 4 grante		11/06/1994 वर्तमान वेतनमान , L- 3	बसईदारापुर अस्पताल	22.06. 06 *	22. 06. 14*	22.06.24	से पेय लेवेल 4 प्रदान किया जाता है। (L 4 granted w.e.f. 22/06/24)
------------------------------	--	---	-----------------------	----------------	-------------------	----------	--

*Reviewed – The due date of 1st ACP and 2nd MACP have been reviewedvide Office Order no. 10 of 2025 of DPC-2 Branch (Copy enclosed)

It may be noted

सं.आ.क.प्र. योजना के तहत वितीय उन्नयन प्रदान करने पर पदनाम, वर्गीकरण या उच्चतर स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होगा । तथापि कर्मचारी के आहरित वेतन से संभन्धित वितीय एवं अन्य निश्चित लाभ ग्रहण होंगे । सं.आ.क.प्र. योजना के तहत उपर्युक्त वितीय उन्नयन, स्थापना शाखा 3, क.रा.बी. निगम मुख्यालय द्वारा संबन्धित विषय पर परिचालित DoP&T OM no.35034/3/2015-Esst.(D) dated 22/10/2019 मे निहित अनुदेशों व समय-समय पर जारी अन्य अनुदेशों/स्पष्टीकरण आदि के अनुसार निर्धारित होगा । यदि कर्मचारी इस वितीय उन्नयन के पहले ही पूर्णतः तदर्थ आधार पर उच्च पदासीन है (यदि हैं), तो DoP&T OM dated 22/10/2019 के पैरा संख्या 25 के अनुसार नियमन होगा ।

On grant of financial up-gradation under the MACPS, there shall be no change in the designation, classification or higher status. However, financial and certain other benefits, which are linked to the pay drawn by an employee shall be permitted. Above financial up-gradation under the MACP Scheme shall, be subject to the terms and conditions mentioned in DoP&T OM No.35034/3/2015-Esst.(D) dated 22/10/2019 and further instructions/clarifications issued from time to time and circulated by Establishment Brach-III, Hqrs. on the subject. In case the employees are already holding the higher post purely on ad-hoc basis before the date of recommendation of financial up- gradation (if any), the case may be regulated as per para 25 of Annexure-I of DoP&T OM dated 22/10/2019.

2. सं.आ.क.प्र योजना के तहत वितीय उन्नयन अंतिम होगा और नियमित पदोनीति के समय कोई वेतन नियतन नहीं होगा । उपर्युक्त कर्मचारी का वितीय उन्नयन पर वेतन DoP&T OM No.35034/3/2015-Esst.(D) dated 22/10/2019 के पैरा संख्या 4 से 7 के अनुसार नियत होगा तथा सामान्य वेतन नियमावली और प्रतिमानकों मे वर्णित एफआर 22(I) (ए)(1) के अंतर्गत कर्मचारी वितीय उन्नयन आदेश की तिथि या अगली वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन नियतन के संबंध मे अपना विकल्प वितीय उन्नयन आदेश की तिथि के एक माह के अंदर तक प्रस्तुत करेंगे ।

111-A-33/13/10/2015/DPC-II(VOL-II) I/2977990/2025

The financial benefit allowed under the MACP Scheme shall be final and no pay fixation benefits shall accrue at the time of regular promotion. On upgradation under the MACP Scheme, pay of the official shall be fixed as per para 4 to 7 of Annexure-I DoP&T OM dated 22/10/2019 and the official has the option under FR 22(I)(a)(1) to get the pay fixed in the higher level of pay in the pay matrix either form the date of the financial up-gradation or from the date of his next increment within one month of the date of issue of the order.

3. उपर्युक्त आदेश में यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाए तो उसे वेतन नियतन से पहले डीपीसी-2 शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली को सूचित कर दिया जाए ।

If any discrepancy is found in the above order, the same shall be brought to the notice of DPC- 2 Branch, Regional Office Delhi before fixation of pay.

4. नियंत्रक प्राधिकारी यह सुनिश्चित करे, की संबन्धित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में उपर्युक्त कार्यालय आदेश की संबन्धित पृविष्टियाँ की जाए और वेतन नियतन के संबंध में आवश्यक कार्यवाई शुरू की जाए ।

The Controlling Authority shall ensure that relevant entries of the above-mentioned office order are made in the service book of the concerned official and necessary action is initiated regarding fixation of pay.

RAAKHI Saini ASSISTANT DIRECTOR 03-09-2025

(राखी सैनी)

सहायक निदेशक (डीपीसी-2)

प्रतिलिपि (सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु) :

- 1. संबन्धित कर्मचारी को उनके वर्तमान नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से।
- 2. संबन्धित अधिकारी के निदेशक(वित्त)/उप निदेशक(वित्त) क.रा.बी.नि.।
- 3. डी(एम)डी, मयूर विहार दिल्ली एवं चिकित्सा अधीक्षक क.रा.बी.नि अस्पताल बसईदारापुर को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- 4. रोकड शाखा/लेखा शाखा , क.रा.बी.नि. अस्पताल बसईदारापुर ।
- 5. प्रशासन शाखा -2, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली ।
- 6. वैबसाइट कटेंट मैनेजर (आईटी सैल) क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली / निदेशालय (चिकिसा) दिल्ली ,मयूर विहार दिल्ली को वैबसाइट पर अपलोड करने हेत् ।
- 7. गार्ड फ़ाइल ।